कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा–स / समान परीक्षा(7) / 22402 / 2025 /   दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अन्तर्गत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा – 2024–25 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा–स / समान परीक्षा(7) / 22402 / 2014–24 / दिनांक : 26.11.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तरीय समान परीक्षा (कक्षा 9 से 12 की अर्द्धवार्षिक एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा) के आयोजन के संबंध में जारी प्रासंगिक दिशा–निर्देशों के क्रम में आगामी राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा की समय–सारणी संलग्न कर अग्रांकितानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(अ) समय सारणी :–

- समान परीक्षा वर्ष 2024–25 की वार्षिक परीक्षा दिनांक : 24.04.2025 से 08.05.2025 तक आयोजित की जायेगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2024–25 की वार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक : 24.04.2025 से 08.05.2025 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जायेगी। जो भी विषय उक्त समयसारणी में उल्लेखित नहीं हैं, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2024–25 की वार्षिक परीक्षा से सम्बन्धित विद्यालय स्तर की परीक्षायें व प्रायोगिक विषयों की परीक्षायें उक्त समय–सारिणी में उपलब्ध अन्तराल दिवसों पर आयोजित की जायेगी।
- उक्त परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर सीधे पहुँचायें जायेंगें।
- पूर्व प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार जिन जिलों द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट्स का वितरण सीधे ही ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, वहाँ उक्तानुसार ही पैकेट्स का वितरण किया जायेगा तथा जिन जिलों में पैकेट्स को विद्यालय स्तर पर सीधे ही वितरित कर दिया जाता है, वहाँ पूर्वानुसार ही पैकेट्स का वितरण विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
- परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा की जायेगी।
- परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक द्वारा की जायेगी।

- परीक्षा तिथि से 01 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पीईईओ स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित पीईईओ का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित अधिकारियों के दायित्व निर्धारण के पश्चात किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(ब) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :–

- प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी सन्देश/गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जायेंगे।
- निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को सम्बन्धित यूसीईईओ/पीईईओ के पास रखा जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर प्रश्न पत्र यथा संभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रि कालीन ड्यूटी लगायी जाना सुनिश्चित किया जावें।
- सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधीकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईईओं/यूसीईईओ विद्यालयों में।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईईओ को संवेदशील प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
- सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रभारी/केन्द्राधीक्षक बनाया जायेगा।
- वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/डाइट प्राचार्य द्वारा उड़नदस्ते गठित कर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जावें।
- परीक्षा आयोजन के दौरान जिला/ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी सम्बन्धित पुलिस थानों में रखवाया जायेगा।

उक्तानुसार समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार, समयबद्ध रुप से गोपनीय व शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा/गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त

कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जावें। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों की पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :– वार्षिक परीक्षा की समय–सारणी।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई–मेल)।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिये ई–मेल)।
6. समस्त जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था हेतु (जरिये ई–मेल)।
7. उपनिदेशक, माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन किये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा (जरिये ई–मेल)।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई–मेल)।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
13. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।
14. समस्त संस्था–प्रधान।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :20-03-2025 07:57:29